

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 194/2024

सिदीप पुत्र श्री इमीलाल उर्फ अमीचन्द जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

श्रीहरा देवी पत्नी श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

शीला देवी पत्नी स्व. श्री अमीलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुभाष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

शैशल्या देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

हनुमान प्रसाद पुत्र श्री कृष्णलाल पति श्वेता कुमारी जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

समीर पुत्र स्व. श्रीमती श्वेता कुमारी पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री फूलाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

रमेश कुमार पुत्र श्री फूलाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 31.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वादी इमीलाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जागिब मुदायला पेश होकर मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जागिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी सिदीप पुत्र श्री इमीलाल उर्फ अमीचन्द एवं प्रतिवादीया सं. 2 शीला देवी पत्नी श्री इमीलाल उर्फ अमीचन्द समस्त जाति जाट नियासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 116/73 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/133 48 14,15/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 70/73 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/133 48 16,17,24/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 79/89 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/133 48 25/0.253 है.

143/134 49 5/2/0.019 है.

144/133 47 23/2/0.121 है.

144/134 50 2/2/0.151 है., 2/3/0.038 है., 3/1/0.139 है.,

3/2/0.038 है.

मुमकिन 0.683 है., गै.मु. 0.076 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 89/1 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/134 49 5/1/0.234 है., 6/1/0.038 है., 6/2/0.038 है.

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

44/133 47 22/0.253 है., 23/1/0.132 है.
44/134 50 2/1/0.039 है., 10/0.025 है.
मु.कि.नं. 0.696 है., गै.मु. 0.063 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 3 सुभाष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 116/73 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

43/132 30 25/0.253 है.

43/133 48 4,5,6,7/0.253 है.प्र.

कुल 1.265 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 114/57 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

43/132 30 17,24/0.253 है.प्र.

43/133 48 3/0.253 है.

44/133 47 1/2/0.127 है.

कुल 0.886 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 70/73 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

44/133 47 1/1/0.126 है., 10,11,19,20/0.253 है.प्र.

कुल 1.138 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 79/89 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

44/133 33 21 21/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 89/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

44/134 50 1/1/0.240 है., 1/2/0.013 है.

मु.कि.नं. 0.240 है., गै.मु. 0.013 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 7 व 8 क्रमशः महेन्द्र कुमार पुत्र श्री फूलाराम एवं रमेश कुमार पुत्र श्री
फूलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 3 पी.टी.पी. खाता सं. 114/57 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

43/132 30 18,19,22,23/0.253 है.प्र.

कुल 1.012 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 3 पी.टी.पी. के खाता सं. 116/73
जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.771 है. कृषि
भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित
किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार चक 3
पी.टी.पी. के खाता सं. 70/73 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के
नाम से 1.897 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि
भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 3 को 1.138 है. कृषि भूमि का खातेदार
काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक
3 पी.टी.पी. के खाता सं. 79/89 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1,3,5
व 6 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.759
है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.253 है. कृषि भूमि का
खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 5 व 6 का नाम कलमजन किया जावे
तथा प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा किया जावे, इसी प्रकार चक 3 पी.टी.पी. के खाता सं.
89/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.012 है. कृषि
भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा
प्रतिवादी सं. 3 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी
सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार चक 3 पी.टी.पी. के खाता सं.
114/57 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 3, 6 ता 8 के नाम से 1.
898 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 0.886 है. कृषि भूमि का तथा
प्रतिवादी सं. 7 व 8 को 1.012 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार
घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार वादी एवं
प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 7 व 8 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर खाता
अलग से कायम किया जावे।

नागातार --3
सुभाष कुमार एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निज खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकको अदा करे।



यब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 31.5.2025 को जारी किया जाता है।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया
संगरिया